

Demand of Gujarat for funds under EAS

2821. SHRI AHMED PATEL: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the demand of Gujarat for funds under Employment Assurance Scheme (EAS) for manual work during the lean agricultural seasons in rural areas of the State during the last three years, year-wise;

(b) whether the demand of the State was fully met;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) the remedial measures proposed to be taken by Government to meet the demand of the State?

THE MINISTER OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI K. YERRANNAIDU): (a) Though Employment Assurance Scheme (EAS) is a demand driven scheme, yet first instalment of EAS during 1993-94, 1994-95 and 1995-96 was released to all the States on ad-hoc basis. The funds released to Gujarat for the last three years are as follows:—

(Rs. in lakhs)	
Year	Central funds released
1993-94	485.00
1994-95	3580.00
1995-96	6970.00

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) Do not arise.

मधुबनी, बिहार में एक स्वैच्छिक संगठन द्वारा कपार्ट की धनराशि का दुरुपयोग

2822. श्री राम देव भंडारी: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के मधुबनी जिले में सामाजिक

शैक्षणिक विकास केन्द्र पथराही, झंझारपुर (आर.एस.) के कपार्ट द्वारा कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ख) उक्त संगठन के विरुद्ध धन का दुरुपयोग करने के लिये किस-किस प्रकार की जांच कराई गई है;

(ग) क्या दो सदस्यीय जांच समिति ने धनराशि के दुरुपयोग और बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के बारे में फरवरी में प्रतिवेदन दिया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उपरोक्त संगठन को काली सूची में न डालने, धनराशि देना बन्द न करने और उनसे धनराशि वापस न कराने और इसके विरुद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न कराए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार ऐसी कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा): (क) कपार्ट द्वारा बिहार के मधुबनी जिले में सामाजिक शैक्षणिक विकास केन्द्री पथराही, झंझारपुर को 91.18 लाख रुपए दिए गये हैं।

(ख) से (घ) एक शिकायत के आधार पर तीन परियोजना मूल्यांकनकर्ताओं की एक दल भेज कर कपार्ट ने शुरू में सामाजिक शैक्षणिक विकास केन्द्र की कार्य प्रणाली की जांच करवाई थी। इस दल के निष्कर्षों के आधार पर इस संगठन द्वारा रोहतास एवं पलामू जिले में पेयजल परियोजनाओं के निष्पादन के संबंध में दो परियोजना मूल्यांकनकर्ताओं के एक संयुक्त दल द्वारा विस्तृत जांच की गई है। कपार्ट को जनवरी/फरवरी 97 में प्राप्त दो सदस्यों के दल की रिपोर्ट में इस संगठन द्वारा इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनुपयुक्त निष्पादन, जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं चलाना, घटिया किस्म के हार्डवेयर का प्रयोग करना, गलत रिपोर्ट देना आदि जैसी कुछ एक कमियों/खामियों के बारे में बताया गया है इस दल ने यह भी सिफारिश की कि इस संगठन से 9.74 लाख रुपए की वसूली की जाए।

(ङ) और (च) कपार्ट ने इस संगठन को आगे धन देना बन्द कर दिया है। कपार्ट द्वारा दो सदस्यीय दल की रिपोर्ट की जांच भी की जा रही है, जिससे अगली कार्यवाही का निर्धारण किया जा सके।